

प्रेषक,

अनिल कुमार बाजपेयी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश सरकार।

सेवा में,

निदेशक,
राज्य नगरीय विकास अभियान,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
नगरीय रोजगार एवं गरीबी
उन्मूलन कार्यक्रम विभाग।

लखनऊ : दिनांक : ३१ जनवरी, 2018

विषय: शहरी क्षेत्रों की मलिन बस्तियों में इंटरलाकिंग, जल निकासी, नाली निर्माण एवं अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना के कार्यों को पूर्ण करने हेतु "मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजना" के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-83 में प्राविधानित धनराशि से जनपद-मेरठ की 10 परियोजनाओं हेतु द्वितीय/अंतिम किश्त की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1568/76/एक/एवीएमबीवीवाई/2016-17, दिनांक 26 जुलाई, 2017 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि "शहरी क्षेत्रों की मलिन बस्तियों में इंटरलाकिंग, जल निकासी, नाली निर्माण एवं अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना" योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 में अनुदान संख्या-83 में जनपद-मेरठ की नगर निगम, मेरठ की विभिन्न मलिन बस्तियों में इंटरलाकिंग रोड व नाली निर्माण कार्य से सम्बन्धित अलग-अलग कुल 12 परियोजनाओं हेतु शासनादेश संख्या-54/2015/2431/69-1-14-66(म0ब0-83)/2014, दिनांक 15 जनवरी, 2015 द्वारा रु 0 194.88 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति सहित उक्त के सापेक्ष परियोजना लागत का 50 प्रतिशत अर्थात् रु 97.44 लाख की धनराशि प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त की गयी थी। अतएव उक्त परियोजनाओं में से केवल 10 परियोजनाओं के कार्यों को पूर्ण करने हेतु "मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजना" के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-83 में प्राविधानित बजट की धनराशि से संलग्न तालिका के स्तरम्-6 में अंकित द्वितीय/अंतिम किश्त की धनराशि रु 0 74.485 लाख (रुपये छौहत्तर लाख अड़तालिस हजार पाँच सौ मात्र) की निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभियान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ यह सुनिश्चित कर लेंगे कि एस0सी0 एस0पी0/टी0एस0पी0 योजना हेतु भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानक तथा दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1568/76/एक/एवीएमबीवीवाई/2016-17, दिनांक 26 जुलाई, 2017 के सन्दर्भ में जरी दिशा-निर्देशों विषयक शासनादेश संख्या-32/69-1-13-14(31)2012टीसी, दिनांक 16 जनवरी, 2013 में दिये गये दिशा-निर्देश/व्यवस्था का पूर्णरूपेण अनुपालन करते हुए की जायेगी।
3. प्रश्नगत परियोजनाओं में प्रस्तावित कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

श्री राज्यपाल महोदय


रु 74.485
३१.०१.१८

4. उक्त धनराशि शासन द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार उपर्युक्तानुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य की विशिष्टियों, मानक व गुणवत्ता आदि को सुनिश्चित करते हुए कार्य क्रमशः इस प्रकार कराये जायेंगे कि वे उपलब्ध धनराशि से ही निर्धारित समय सीमा में पूर्ण हो जायें तथा उनका लाभ सम्बन्धित स्थानीय निवासियों को मिल सके।
5. योजनान्तर्गत कराये जाने वाले समस्त कार्यों का विवरण, उनकी लागत, कार्य पूर्ण होने की अवधि, कार्यदायी संस्था व उससे संबंधित अभियन्ता एवं परियोजना अधिकारी का नाम व फोन नम्बर कार्य स्थल पर नोटिस बोर्ड लगाकर सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत किया जायेगा। उक्त सभी विवरण एवं योजना का आगणन इडा की वेबसाइट पर अनिवार्य रूप से अपलोड किया जायेगा।
6. उक्त धनराशि यथा समय सम्बन्धित इडा (निर्माण इकाई) को उपलब्ध करा दी जायेगी। सम्बन्धित इडा (निर्माण इकाई) द्वारा प्रश्नगत परियोजना को जिला स्तरीय शासी निकाय से अनुमोदित कराने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
7. उक्त धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा। किसी प्रकार का व्यावर्तन अनुमन्य नहीं होगा। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।
8. स्वीकृत की जा रही धनराशि बैंक/डाकघर/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी। स्वीकृत धनराशि एकमुश्त आहरित न कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।
9. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
10. योजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों को प्रारम्भ करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त परियोजनान्तर्गत स्वीकृत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है, जिससे कि शासकीय धन का दुरुपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में स्वीकृत धनराशि तत्काल राजकोष में जमा कराकर शासन को सूचित किया जायेगा।
11. उक्त धनराशि सम्बन्धित निर्माण इकाई को अवमुक्त करने से पूर्व सूडा द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रश्नगत परियोजनाओं के आगणनों का गठन वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 04.04.2008 के अनुरूप हैं तथा उसमें कार्य विशेष की लागत सीमा को कम करने के उद्देश्य से अथवा प्रायोजना के स्कोप को कम करके अथवा प्राविधानों को कम करके लागत आंकित नहीं की गई है।
12. प्रश्नगत परियोजना से सम्बन्धित कार्यों की द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो, यह सूडा/इडा द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
13. उक्त धनराशि का आहरण निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, ३०प्र०, लखनऊ द्वारा विशेष सचिव/सचिव/प्रमुख सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग के प्रतिहस्ताकारोपरान्त किया जायेगा।
14. प्रत्येक आहरण की सूचना महालेखाकार (राजकोष), महालेखाकार (लेखा), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को आदेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, बाऊचर संख्या, तिथि तथा लेखाशीर्षक की सूचना एक वर्ष के भीतर अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।
15. उक्त प्रायोजना की मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व कार्यदायी संस्था/सम्बन्धित इडा का होगा।
16. इस धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अवश्य करा लिया जाये और इसके बाद उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। निर्धारित अवधि के बाद अनुपयोगित धनराशि, यदि कोई हो, तो एकमुश्त शासन को वापस करनी होगी।

17. सेन्टेज चार्जर (अधिष्ठान व्यय) की धनराशि वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-ए-2-23/दस-2011-17(4)/75, दिनांक 25.01.2011 में जारी विस्तृत दिशा-निर्देशों के क्रम में सुसंगत लेखा शीर्ष में जमा किया जायेगा।
18. स्थीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष उतनी ही धनराशि आहरित की जायेगी, जितनी 31 मार्च, 2018 तक व्यय हो सके।
 2. उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-83 से "मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजना" के अन्तर्गत प्राविधिक बजट की धनराशि से लेखाशीर्षक "2217-शहरी विकास-04-गन्दी बस्तियों का विकास-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-05-मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजना-35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान" के नामे डाला जायेगा।
 3. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय जाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 03 अगस्त, 2017 तथा समय-समय पर जारी आदेशों के तहत किये जा रहे हैं।

संलग्नक: यथोक्त।

मवदीय,


(अनिल कुमार बाजपेयी)
विशेष सचिव।*

संख्या- 2) /2018/1136(1)/69-1-2017, तितिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकर (लेखा एवं हकदारी), प्रथम, 30प्र०, 20 सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
2. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, 30प्र०, छठां तल, संगम प्लेस, सिविल लाइन, इलाहाबाद।
3. प्रमुख सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, 30प्र० शासन।
4. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, मेरठ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-8, 30प्र० शासन।
7. नियोजन अनुभाग-4, 30प्र० शासन।
8. समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग, 30प्र०, शासन।
9. वित्त नियंत्रक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, 30प्र०, लखनऊ।
10. सहायक वेब मास्टर, सूडा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।
11. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सहायक/बजट समन्वयक।

आज्ञा से,



(अधिलानन्द ब्रह्मचारी)
अनु सचिव।

शासनादेश संख्या- 21 /2018/1136/69-1-2017-66(म0ब0-83)/2014, दिनांक 31 जनवरी, 2018 का
संलग्नक।

(धनराशि लाख रु में)

| क्र० सं० | जनपद का नाम | निकाय/ लगर पंचायत का नाम। | बस्ती/वार्ड का नाम/कार्य का विवरण। | परियोजना की कुल लागत। | द्वितीय/अंतिम किश्त के रूप में स्वीकृत योग्य धनराशि। |
|-------------|----------------|---------------------------------|--|-----------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | मेरठ | नगर निगम मेरठ | वार्ड नं०-30 इन्द्रानगर एक्सटैशन (भाग-02) में सुभाष राना के मकान से बिनोद के मकान तक, कोमल जैन एवं राजेन्द्र वर्मा याली गली में इंटरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य। | 10.06 | 5.03 |
| 2. | तदैव | तदैव | वार्ड नं०-30 इन्द्रानगर एक्सटैशन (भाग-02) में नन्दी चौक से श्री रतन लाल के मकान तक इंटरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य। | 10.42 | 5.21 |
| 3. | तदैव | तदैव | वार्ड नं०-30 इन्द्रानगर एक्सटैशन (भाग-02) में मुरारी लाल के मकान से सुरेश के मकान तक एवं चमन के मकान से घिटद के मकान तक इंटरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य। | 12.09 | 6.045 |
| 4. | तदैव | तदैव | वार्ड नं०-30, इन्द्रानगर एक्सटैशन (भाग-03) में सुभाष आटा याकी से जय प्रकाश के मकान तक, सुशील याली गली एवं भोला राम याली गली में इंटरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य। | 16.08 | 8.04 |
| 5. | तदैव | तदैव | इन्द्रानगर एक्सटैशन (भाग-03) में ओम प्रकाश के मकान से शिव नरायन के मकान तक एवं दीपक के मकान से किशन लाल अरोड़ा के मकान तक इंटरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य। | 24.36 | 12.18 |
| 6. | तदैव | तदैव | वार्ड नं०-30, इन्द्रानगर एक्सटैशन (भाग-04) में विपिल अग्रवाल के मकान से राम नियास के मकान तक, श्री रोहित के मकान से प्रकाश डेरी तक, राहुल नित्यल के मकान से सावित्री देवी के मकान तक, लातू के मकान से अमर पाल के मकान तक, सोलू वर्मा याली गली एवं लाला देवेन्द्र के मकान से श्री अशोक के मकान तक इंटरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य। | 39.13 | 19.565 |
| 7. | तदैव | तदैव | वार्ड नं०-30, ब्रह्मपुरी में श्री आगवत के मकान से अनिल के मकान तक एवं आगवत की याकी याली गली में इंटरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य। | 14.59 | 7.295 |
| 8. | तदैव | तदैव | वार्ड नं०-30, ब्रह्मपुरी में श्री संजय के मकान से ताम्ती के मकान तक इंटरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य। | 6.80 | 3.40 |
| 9. | तदैव | तदैव | वार्ड नं०-30, ब्रह्मपुरी में दुष्यन्त प्रेस से पंडित शारदा के मकान तक, गिरीश याली गली एवं राजू जग्गी के सामने याली गली में इंटरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य। | 10.45 | 5.225 |
| 10. | तदैव | तदैव | वार्ड नं०-30, ब्रह्मपुरी में गोपाल वर्मा याली गली में इंटरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य। | 4.99 | 2.495 |
| योग | | | | 148.97 | 74.485 |

(रूपये चौहत्तर लाख अड्डालिस हजार पांच सौ भाव्र)


(अखिलनन्द ब्रह्मचारी)

अनु सचिवाले